

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक—प्र०—११ / पथ अधि०—०२—०१ / २०१९—

प्रेषक,

प्र० १५(६)८८

पटना, दिनांक—

०२/०२/२०२१

हनुमान प्रसाद चौधरी,  
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री नीतीश मिश्रा,  
माननीय पूर्व मंत्री, बिहार सरकार / माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा,  
११२, कौठिल्य नगर, पटना—८०००१४।

विषय :— अन्य विभाग के पथों के पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण के संबंध में।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक—१२९ / २०२० दिनांक—०२.१२.२०२०।



महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से किए गए पथ अधिग्रहण के अनुरोध के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या—१५४८ (एस०) दिनांक—२५.०२.२०२० (छायाप्रति संलग्न) से निम्न निर्णय अधिसूचित है “ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन सामान्यतः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा स्वयं कराने का निर्णय लिया गया है। विशेष परिस्थिति में अत्यन्त विशिष्ट महत्व के पथों का पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरण प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा”।

सूचनार्थ | समर्पित |

अनु०:— यथोक्त |

विश्वासभाजन,

  
०२.०२.२१  
(हनुमान प्रसाद चौधरी)  
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  
  
०१.०२.२१

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— 1548 (५)

पटना, दिनांक— २५।२।२०२०


ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के स्वामित्व वाले पथों के पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण के संबंध में निम्न निर्णय लिया जाता हैः—

I. शहरी क्षेत्रों के वैसे पथ जिनकी चौड़ाई 6 मीटर या उससे अधिक हो, उसका स्थानान्तरण पथ निर्माण विभाग में किया जा सकता है। स्थानान्तरण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा निकायवार समिक्त प्रस्ताव तैयार कर पथ निर्माण विभाग, बिहार को उपलब्ध कराया जायेगा।

II. ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन सामान्यतः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा स्वयं कराने का निर्णय लिया गया है। विशेष परिस्थिति में अत्यन्त विशिष्ट महत्व के पथों का पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरण प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।


III. पथ के अधिग्रहण हेतु निरूपित प्रक्रिया पूर्व में इस निमित्त निर्गत संकल्प के अनुरूप रहेगा।  
2. उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(डॉ० आलोक कुमार) २५।२।२०२०  
संयुक्त सचिव (प्र०को०)  
पटना, दिनांक— २५।२।२०२०


ज्ञापाक— प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— 1549 (५)

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, लो० एवं ह०, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ० आलोक कुमार) २५।२।२०२०  
संयुक्त सचिव (प्र०को०)  
पटना, दिनांक..... २५।२।२०२०


ज्ञापाक— प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— 1549 (५)

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० के साथ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ० आलोक कुमार) २५।२।२०२०  
संयुक्त सचिव (प्र०को०)


ज्ञापाक— प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— 1549 (५)

प्रतिलिपि:— सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
(डॉ० आलोक कुमार) २५।२।२०२०  
संयुक्त सचिव (प्र०को०)


ज्ञापाक—प्र०— प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— 1549 (५)

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इससे माननीय मंत्रीजी, को अपने स्तर से अवगत करा देंगे।

  
(डॉ० आलोक कुमार) २५।२।२०२०  
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञांपाक— प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— १५४९(६) पटना, दिनांक— २५।२।२०२०


प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, प०नि०वि०, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प०नि०वि०, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), प०नि०वि०, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), प०नि०वि०/ अधीक्षण अभियंता, (अनुश्रवण), प०नि०वि०/ निदेशक (क्रय एवं परिवहन), प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ० आलोक कुमार) ३१०१

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

ज्ञांपाक— प्र०-11/पथ अधि०-02-03/2019— १५४९(६) पटना, दिनांक— २५।२।२०२०

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, उत्तर/दक्षिण/सीमांचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सभी पथ अंचल, बिहार एवं कार्यपालक अभियंता, सभी पथ प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ० आलोक कुमार) ३१०२

संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

# नीतीश मिश्रा

पूर्व मंत्री

बिहार सरकार



सदस्य

बिहार विधान सभा

पत्रांक - 129/2020

टिनांक - 02/12/2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

महाशय,

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में निम्नलिखित पथों को यातायात के दृष्टिकोण से ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानान्तरित कर पथ निर्माण विभाग में सम्बिलित करते हुए जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण करने की नितांत आवश्यकता है।

(1):— चनौरागंज एन.एच.—57 से चनौरा गोठ, चौड़ामहरैल होते हुए अन्धराठाड़ी प्रखण्ड के ननौर चौक तक जाने वाली पथ।

औचित्य :— यह पथ चनौरागंज एन.एच.—57 से चनौरा गोठ, चौड़ामहरैल होते हुए अन्धराठाड़ी प्रखण्ड के ननौर चौक पी.डब्लू.डी. (M.T.A. Road) सड़क को जोड़ती है। इस पथ की लम्बाई लगभग 8 किलोमीटर है। अन्धराठाड़ी प्रखण्ड के 10 पंचायतों के लोगों को अनुमण्डल अस्पताल, व्यवहार न्यायालय, रेलवे स्टेशन एवं स्थानीय बाजार आदि कार्यों के लिए झंझारपुर आने का मुख्य मार्ग है।

(2):— एन.एच.—57 से चनौरागंज से लखनौर प्रखण्ड के बेरमा, कछुवी, तमुरिया पी.डब्लू.डी. पथ तक जाने वाली पथ।

औचित्य :— यह पथ चनौरागंज एन.एच.—57 से लखनौर प्रखण्ड के बेरमा, कछुवी, तमुरिया पी.डब्लू.डी. पथ तक जाती है। इस पथ की लम्बाई लगभग 10 किलोमीटर है। ज्ञात हो कि यह पथ लखनौर प्रखण्ड के 10 पंचायतों के लोगों को अनुमण्डल अस्पताल, व्यवहार न्यायालय, रेलवे स्टेशन, स्थानीय बाजार आदि कार्यों के लिए झंझारपुर आवागमन का मुख्य मार्ग है। ये पथ भी (M.T.A. Road) से मिल जाएगी।

(3):— पी.डब्लू.डी. पथ बिदेश्वर स्थान से हैंठीवाली, भैरव स्थान, पट्टी टोल, कोठीया राजकीय उच्च पथ —52 गोपलखा, शंकरपुर, काको चौक, खैरा चौक होते हुए कमला पश्चिम तटबंध तक जाने वाली पथ।

औचित्य :— यह पी.डब्लू.डी. पथ बिदेश्वर स्थान से लेकर हैंठीवाली, भैरव स्थान, पट्टी टोल, कोठीया राजकीय उच्च पथ —52 गोपलखा, शंकरपुर, काको चौक, खैरा चौक होते हुए कमला पश्चिम तटबंध तक जाती है। इस पथ की लम्बाई लगभग 14 किलोमीटर है। ज्ञात हो कि झंझारपुर प्रखण्ड के 10 पंचायत कमला बलान नदी के पश्चिम भाग में अवस्थित है। इन 10 पंचायत के लोगों को अनुमण्डलीय अस्पताल, व्यवहार न्यायालय, रेलवे स्टेशन एवं स्थानीय बाजार आदि कार्यों के लिए झंझारपुर आवागमन का मुख्य मार्ग है।

(4):— पी.डब्लू.डी. पथ लक्ष्मीपुर चौक (प्रखण्ड मुख्यालय मधेपुर) से बांकी, राम बाग, भीठ भगवानपुर होते हुए खोइर मदनपुर जाने वाली पथ ।

औचित्य :— यह पी.डब्लू.डी. पथ लक्ष्मीपुर चौक (प्रखण्ड मुख्यालय मधेपुर) से बांकी, राम बाग, भीठ भगवानपुर होते हुए खोइर मदनपुर तक जाती है। इस पथ की लम्बाई लगभग 9 किलोमीटर है जो मधेपुर प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ता है। साथ हीं ज्ञात हो कि भीठ भगवानपुर पंचायत में पावर ग्रीड निर्माण का कार्य चल रहा है, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित 10 पंचायत के लोगों को अनुमण्डलीय अस्पताल, व्यवहार न्यायलय, रेलवे स्टेशन एवं स्थानीय बाजार आदि कार्यों के लिए झंझारपुर आवागमन का मुख्य मार्ग है। इन पथों की स्थिति खासकर बरसात के दिनों में काफी खराब हो जाया करता है फलतः स्थानीय लोगों को नारकीय जीवन जीने को विवश होना पड़ता है।

(5):— पी.डब्लू.डी. सड़क झंझारपुर थाना चौक से सुखेत होते हुए बेलौचा एम.टी.ए., पी.डब्लू.डी. सड़क तक—8 किलोमीटर।

औचित्य :— ये सड़क झंझारपुर से मधेपुर को जोड़नेवाली सड़क काफी महत्वपूर्ण इससे झंझारपुर एवं मधेपुर की दूरी 5 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये सड़क काफी चौड़ी है इसपर आवागमन का काफी दबाब रहा है।

(6):— पी.डब्लू.डी. सड़क झंझारपुर राम चौक से अंधराठाढ़ी भाया महरैल तक।

औचित्य :— ये सड़क काफी महत्वपूर्ण सड़क है। ये एन.एच.—57 को जोड़ती है और झंझारपुर अनुमंडल को अंधराठाढ़ी प्रखण्ड से जोड़नेवाली मुख्य सड़क है। इसके बन जाने से अनुमंडल एवं अन्य कई महत्वपूर्ण स्थान एवं अस्पताल आने—जाने में सुविधा होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित पथों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरिक कराकर जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण करने हेतु आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitesh Mehta  
(नीतीश मिश्रा) २१.२.२०२४